

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर कार्यालय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।


श्री शैलेश नारायण धर दूबे पुत्र श्री हनुमान धर दूबे स्थल पार्ट आफ फ्री होल्ड साईट नं0-53/1 व 53/2 सिविल स्टेशन, लोहिया मार्ग इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत कार्यालय भवन निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाता है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 01 अदद वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के क्रम में कोई देयता/प्रतिबन्ध आरोपित किये जाते हैं तो उसका अनुपालन बाध्यकारी होगा।
6. मानचित्र की स्वीकृति स्टिल्ट पार्किंग, अपर ग्राउण्ड, प्रथम एवं द्वितीय तल पर कार्यालय प्रयोग हेतु है, स्थल पर निर्माण/अधिभोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही किया जायेगा।
7. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
8. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
9. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
10. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
11. यदि भूखण्डों का उप-विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ0वि0प्रा0 द्वारा नियमानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
12. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
13. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।


(गुडाकेश शर्मा)

संयुक्त सचिव/प्र0अ0-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद


an




STILT FLOOR PLAN




UPPER GROUND FLOOR PLAN




FIRST & SECOND FLOOR PLAN




BASEMENT PLAN




FRONT ELEVATION



TERRACE PLAN



SITE PLAN



SECTION OF STAIR CASE

यह स्वीकृत/मंजूर/अनुमति है। पूर्णतः प्रमाणित प्राप्त करने के बाद ही इस परीक्षक का वास्तविक दायित्व लिया जा सकता है।
 06/06/13
 संस्थापक/उप-संस्थापक
 इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
 इलाहाबाद

Dr. J. K. Singh 21/04/13
 नगर अभियंता (वि. स.)
 विकास प्राधिकरण
 इलाहाबाद



S. Kundan 4.13
 मुख्य नगर निवासीक
 50 फी. 200

NOTE :-

- LIME CONC. IN FOUNDATION
- FLOORING OVER R.C.C. SLAB
- TOTAL AREA = 109.16 MP
- ROAD WIDENING AREA = 19.05 MP
- NET AREA = 90.11 MP
- COVERED AREA ON BASE = 24.72 MP
- COVERED AREA ON STILT = 27.00 MP
- COVERED AREA ON G.F. = 27.00 MP
- COVERED AREA ON S.F. = 27.00 MP
- OPEN AREA ON G.F. = 63.11 MP
- OPEN AREA ON S.F. = 13.82 MP
- MUMTY PARKING = 2 NO.
- CAR PARKING = 2 NO.

IT IS CERTIFIED THAT BUILDING PLAN HAS BEEN PREPARED AS PER MASTER PLAN 2001 AND APPROVED ZONAL PLAN 'E' BHAWAN UPVIPH-2008

PROPOSED OFFICE BLDG. PLAN OF PART OF FREEHOLD SITE NO. - 53, UPVIBHAJIT UPKHAND NO. - 53/1 & 53/2, CIVIL STATION, ALLAHABAD.

SCALE 1:100

OWNER :-

SRI SHAILESH NARAYAN DHAR DUBEY
 S/O SRI HANUMAN DHAR DUBEY

Shri. L. K. Dubey
 SIG. OF OWNER

Dr. Sanjeev Jhary
 VALUER L. No. 7263
 Institution of Engineers. (Indis)
 Regd. No. A-548765-0
 SIG. OF ENG.